The proactive discloser documents as per section 4 B (I-XVII) of Right to information Act - 2005

(1) संगठन (विभाग) दायित्व एवं कर्तव्य :–

संगठन विभाग– नगर पालिका परिषद, शिकारपुर 1986 में एरिया से नगर पालिका परिषद में परिवर्तित हुई, पालिका के अन्तर्गत 25 वार्ड को मिलाकर गठन किया गया जिसमें एक अध्यक्ष, 25 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित तथा 5 सदस्य शासन द्वारा नामित मिलाकर बोर्ड का गठन किया गया है।

दायित्व एवं कर्तव्य :–

नगर की जनता को इस पालिका द्वारा पेयजल, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, सफ़ाई व्यवस्था एवं सड़क निर्माण, नाला निर्माण, नाली निर्माण आदि सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

(2) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य :–

नगर पालिका परिषद, शिकारपुर द्वारा कार्यों के निर्वहन व सम्पादन सरकार द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं अध्यक्ष/बोर्ड द्वारा पारित संवैधानिक प्रस्ताव के अधीन किये जाते हैं।

(3) निर्णय लेने की विधि जिसमें परीक्षण व जिम्मेदारी सम्मिलित हो :–

किसी भी कार्य को सम्पादित करने हेतु निर्णय का अन्तिम अधिकार बोर्ड एवं अध्यक्ष में निहित है तथा कार्य के सम्पादन हेतु परीक्षण व जिम्मेदारी का प्रारम्भ सहायक पटलों से प्रारम्भ होकर अधिशासी अधिकारी तक होता है।

(4) क्रियाकलापों के पूर्ण करने के नियम/आधार :–

नगर विकास अनुभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा निदेशालय, स्थानीय निकाय लखनऊ के समय–समय पर जारी आदेशों, निर्देशों तथा मार्गदर्शन के अनुसार क्रियाकलापों का सम्पादन किया जाता है।

(5) **रूल्स, रेगुलेशन्स, इन्ट्रक्शंस, मैनुअल्स एवं रिकार्ड :–**

नगर विकास विभाग से सम्बन्धित सभी प्रकार के शासनादेश निर्देश व मार्गदर्शन समय–समय पर जारी किये जाते हैं वह सभी नगर विकास अनुभाग व निदेशालय स्थानीय निकाय लखनऊ व जनपद स्तर पर प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय तथा स्थानीय स्तर पर नगर पालिका परिषद, शिकारपुर द्वारा किया जाता है।

(6) **नियंत्रणाधीन अभिलेखों की श्रेणी :–**

शासन व निदेशालय स्थानीय निकाय द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के अभिलेख पालिका परिषद में पठन सहायकों द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं।

(7) **परामर्श की व्यवस्था :–**

नगर पालिका परिषद, शिकारपुर में अधिशासी अधिकारी एवं सहायक पटलों द्वारा नागरिकों को परामर्श/सुझाव की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(8) **बोर्ड, काउन्सिल कमेटी :–**

इस परिषद में बोर्ड का गठन शासन द्वारा किया गया जिसमें एक अध्यक्ष एवं 25 निर्वाचित सदस्य तथा 5 सदस्य शासन द्वारा नामित है।

(9) **अधिकारी व कर्मचारियों की सूची :–**

1.	अधिशासी अधिकारी	1
2.	लिपिक	1
3.	कर समाहर्ता	1
4.	नायब एवं राजस्व मौहर्रिर	2
5.	प्रकाशक	1
6.	चपरासी	4
7.	चौकीदार	1
8.	सफाई नायक	2
9	सफाई कर्मचारी	36
10.	संविदा सफाई कर्मचारी	39
11.	भिश्ती	07

10. **अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाली मासिक परिलब्धियाँ :–**

इस निकाय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को लाभ की परिलब्धियों के रूप में प्रतिमाह वेतन उपलब्ध कराया जाता है।

11. **नगर पालिका परिषद, शिकारपुर का आवंटित बजट :–**

इस निकाय में शासन द्वारा निम्न मदों में बजट उपलब्ध कराया जाता है–

1. राज्य वित्त आयोग – 287.29
2. 12वें वित्त आयोग –
3. आदर्श नगर योजना –

12. **इलैक्ट्रॉनिक फार्म पर सूचना :–**

शून्य

13. **नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की सुविधा :–**

इस निकाय में नागरिकों को सूचना प्राप्त कराने की सुविधा सम्बन्धित सहायक पटलों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

14. **पब्लिक इन्फारमेशन अधिकारी का विवरण (नाम एवं अथॉरिटी)**

1. श्री संजीवन राम, अधिशासी अधिकारी, जन सूचना अधिकारी
2. श्री ऐवज अली, सहायक जन सूचना अधिकारी

15. **अन्य सूचना :–**

शून्य

(संजीवन राम)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, शिकारपुर
जनपद–बुलन्दशहर